न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 62/2018

अपीलांट

गिरीश पुत्र श्री गोरधनदास जी जाति साद निवासी घाणेराव, तहसील देसूरी जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. हेमन्त पुत्र गोरधनदास जी
2. बनवारी पुत्र श्री गोरधनदास जी
3. नर्बदा पत्नी श्री गोरधनदास जी जातिगण साद निवासीगण घाणेराव, तहसील देसूरी जिला पाली
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री नौरतन चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 04

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 14.06.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 90/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा घाणेराव तहसील देसूरी के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 01 लगायत 03 के पिता गोरधनदास पुत्र मोहनदास का आवंटित की गई थी जिस आवंटन आदेश की पालना में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के पिता गोरधनदा को जरिये नामान्तरकण संख्या 530 के अधिकार अभिलेख में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया तथा आवंटन की शर्तो का पूर्ण करने से आवंटन के 10 वर्ष बाद जरिये नामान्तरकरण संख्या 1388 दिनांक 27.10. 1977 के स्वंय रेस्पोडेन्ट संख्या 04 ने खातेदार दर्ज किया जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2034 से 2037 में हो गया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली अपीलांट की साक्ष्य हेतु नियत थी। अपीलांट ने अपनी साक्ष्य के दौरान पेशी दिनांक 12.02.2018 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11, नियम 1, 2 और 12 सपठित धारा 151 सी.पी.सी के तहत पेश किया जिसकी एक प्रति रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के अधिवक्ता को दिलाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु आगामी पेशी तारीख 22.03.2018 को एक अवसर लिया तथा पेशी तारीख 26. 04.2018 को वास्ते जवाब/बहस हेतु नियत की गई। किन्तु तारीख 26.04.2018 को पत्रावली पेशी में नही ली गई तथा पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान 2018 शिविर घाणेराव में तारीख 11.05.2018 को नियत कर दी गई। लोक अदालत कैम्प घाणेराव में पेशी दिनांक 11.05.2018 के संबध में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 की अनुपस्थिति में न्याय आपके द्वार कैम्प घाणेराव में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट 01 लगायत 03 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 1, 2 एवं 12 सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण किये बिना अपीलांट की साक्ष्य लिये सबूत पेश करने का अवसर दिये पूर्ण विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 04 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने अधीनस्थ न्याायलय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा घाणेराव तहसील देसूरी के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। वादग्रस्त आराजी ग्राम पंचायत घाणेराव के नाम राजस्व रेकर्ड में गोचर दर्ज है। एव गोचर भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 को नही दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा घाणेराव तहसील देसूरी के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नंबर 1780 राजस्व रेकर्ड में गोचर ग्राम पंचायत घाणेराव के नाम दर्ज है। एवं जहां तक वादग्रस्त आराजी का आवंटन अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के पिता को होने का प्रश्न है तो अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष मूल आवंटन अभिलेख यथा आवंटन कार्यवाही रजिस्टर अथवा आवंटन आवेदन पत्र एवं उस पर भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आज्ञा की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे यह स्पष्ट नही है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के पिता को कब आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में गोचर ग्राम पंचायत घाणेराव के नाम दर्ज है। उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्तो एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 90/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2018 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली